संख्या-113 /2021/1648/24-1-21-54 पी/02 टी0सी0-1

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 22 अक्टूबर, 2021**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान के मद में स्वीकृत की गयी धनराशि को आहरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-1481/अधि0नि0(वित्त)/एफ-2/विद्युत कर/345/भाग-2, दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के अनुदान सं0-9 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली-05-संचरण एवं वितरण-800-अन्य व्यय -04-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" में शासनादेश संख्या-112/2021/1540/24-1-21-54पी/02 टी0सी0, दिनांक 13 अक्टूबर, 2021 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से रूपये 2750,00,00,000/- (रूपये दो हजार सात सौ पचास करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त स्वीकृत धनराशि में से रूपये 750,00,00,000/- (रूपये सात सौ पचास करोड़ मात्र) की धनराशि का आहरण किया जा चुका है। अब अवशेष धनराशि रूपये 2000,00,00,000/- (रूपये दो हजार करोड़ मात्र) को माह अक्टूबर, 2021 में धनराशि रूपये 1000,00,00,000/- (रूपये एक हजार करोड़ करोड़ मात्र) एवं माह नवम्बर, 2021 में धनराशि रूपये 1000,00,00,000/- (रूपये एक हजार करोड़ करोड़ मात्र) की किश्त के रूप में आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3- शासनादेश संख्या-112/2021/1540/2451-21-54पी/02टी0सी0-1 दिनांक 13 अक्टूबर, 2021 द्वारा स्वीकृति की गयी धनराशि की शर्तें यथावत रहेगी।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ और ऊर्जा विभाग/ वित्त विभाग/ समाज कल्याण विभाग को उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुदान संख्या-09 के लेखाशीर्षक "2801-बिजली -05-संचरण एवं वितरण-800 - अन्य व्यय -04-उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को क्षतिपूर्ति अनुदान-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10- 1708 /दस-2021 2022, दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

संख्या-113/2021/1648(1)/24-1-21, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 211001।
3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज 11001।
4- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
7- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in